न्यायालय– एकादश्, अपर सत्र न्यायाधीश
सारण, छपरा।
ए.बी.पी.न0–423 / 2026
छपरा मुफसिल थाना कांड सं0–331 / 2023

अनिल कुमार सिंह बनाम् बिहार राज्य

09.03.2026 आवेदक अभियुक्त अनील कुमार सिंह की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–423/2026, छपरा मुफसिल थाना कांड संख्या 331/2023, अंतर्गत धारा 406,409,420 भा0द0वि0 में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रदीप कुमार गुप्ता एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री जितेन्द्र कुमार सिंह को सुना।

अभियोजन के अनुसार आरोप संक्षेप में इस प्रकार है कि सदर प्रखंड के ग्राम पंचायत राज विष्णुपुरा के वार्ड सं0 0बी में नल–जल योजना कार्य हेतु तत्कालीन पंचायत सचिव उमेश सिंह एवं तत्कालीन मुखिया द्वारा प्रथम अग्रिम को तौर पर कुल पांच लाख रूपये प्रबंधन समिति वाड सं0 8 के खाते में अंतरित किया गया है। दिनांक 26.08.2020 को तत्कालीन पंचायत सचिव रविन्द्र कुमार सिंह एवं मुखिया द्वारा कार्य का भौतिक निरीक्षण बगैर किये हुए एवं बिना एम0बी0 प्राप्त किये तथा संबधित कनीय अभियंता से बिना अनुशंसा प्राप्त किये मनमान ढंग से एवं नियम के प्रतिकूल जाकर निजी फायदे के लिए मो0 नौ लाख रूप का अग्रिम भुगतान वार्ड कियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के खाते में गैर जिम्मेदाराना तरीके से पुनः किया गया। उषा देवी, वर्तमान वार्ड सदस्य के द्वारा अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकरी सदर छपरा के यहां अपने शिकायत के द्वारा इस संबंध में परिवाद दायर कर उक्त विषय की जांच की मांग की गई। उक्त शिकायत पत्र के तथ्यों के जांच के क्रम में पाया गया कि ग्राम पंचायत विष्णुपुरा के वार्ड सं0 8 में नल–जल योजना हेतु कुल चौदह लाख की राशि वार्ड प्रबंधन समिति के खाते में दिनांक 10.06.2020 से 26.08.2020 की बीच अंतरित की गई है जबकि वास्तविक कार्य मापी–पुस्त के अनुसार केवल पांच लाख साठ हजार दौ सौ तीन रूपये का हुआ है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। स्पष्ट है कि तत्कालीन पंचायत सचिन रविन्द्र कुमार सिंह, वार्ड सदस्य गीता देवी एवं तत्कालीन वार्ड सचिव श्री अनिल सिंह द्वारा जान बूझकर सरकारी राशि मो0 आठ लाख उन्चालीस हजार सात सौ उनासी रूप का मिली–भगत द्वारा गबन किया गया है। इसी प्रकार अन्य मामले में ग्राम पंचायत के वार्ड सं0 05 के तत्कालीन वार्ड प्रबंध समिति के अध्यक्ष सह–वार्ड– सदस्य चन्द्रमणि कुमारी एवं पूर्व वार्ड सचिव राजीव रंजन कुमार के द्वारा नल–जल योजना कार्य हेतु कुल दस लाख रूपये की राशि अग्रिम के रूप में प्राप्त किया गया था। उक्त अग्रिम राशि के विरूद्ध वार्ड प्रबंधन समिति के द्वारा पांच लाख अरतालीस हजार आठ सौ अठासी रूपये का वास्तविक कार्य कराया गया एवं इस प्रकार चार लाख एकावन हजार एक सौ बारह रूपये की सरकारी राशि का गबन एवं दुरूपयोग किया गया है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस करते हुए कहा गया कि आवेदक की ओर से अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्त निर्दोष है उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक का आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियोजन पक्ष की कहानी पूरी तरह से झूठी और मनगढंत है। पूर्व शत्रुता के कारण यह मामला दर्ज

किया गया है। आगे उनका कथन है कि तत्कालीन ब्लॉक विकास अधिकारी सह सूचक एक भ्रष्ट और निश्वतखोर व्यक्ति है। आवेदक से एक लाख रूपये की मांग कर रहे थे जिसे आवेदक देने से इनकार कर रहा था इसलिए आवेदक का फंसाया गया है। आवेदक द्वारा कोई गबन या काई अवैध कार्य नहीं किया गया है। अंत में विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि आवेदक द्वारा कारित अपराध काफी गंभीर प्रकृति का है। इसलिए आवेदक का जमानत आवेदन खारिज किया जाये।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में प्राथमिकी छपरा मुफसिल थाना कांड संख्या 331/2023, अंतर्गत धारा 406,409,420 भा0द0वि0 में पंजीकृत कराई गई है। कांड दैनिकी के कंडिका–2 में वादी का पुनः बयान अंकित है जिसमें वादी ने घटना का पूर्ण रूप से समर्थन किया है। कंडिका–25 में पर्यवेक्षण टिप्पणी है जिसमें आवेदक के विरूद्ध घटना को सत्य पाया गया है। कंडिका–29 में आवेदक के आपराधिक इतिहास के संदर्भ में अंकित है जिसके अनुसार आवेदक का आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक पर नल–जल योजना कार्य के तहत आठ लाख उन्तालीस हजार सात सौ उन्नासी रूपये की सरकारी राशि का गबन करने का आरोप है। आवेदक द्वारा कारित अपराधिक व उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः आवेदक अभियुक्त अनील कुमार सिंह द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक 27.01.2026 को उपरोक्त के आलोक में खारिज किया जाता है।

लेखापित

एकादश, अपर सत्र न्यायाधीश
सारण, छपरा।